मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(574, साउथ सिविल लाईन्स, पचपेढ़ी जबलपुर, 482001)
Off. Ph. 0761-2678352, E-mail:-mplsajab@nic.in, Fax:-0761-2678537

ईमेल

क्र.फा.नं.17 / नेश.लोक.अदा / राविसेप्रा / 3612 / 2018 जबलपुर, दिनांक 09 / 01 / 2018

प्रति,

अतिआवश्यक / नेशनल लोक अदालत

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार / सचिव,
   उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,
   खण्डपीठ इंदौर / ग्वालियर (म.प्र.)
2. रजिस्ट्रार / सचिव,
   उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,
   जबलपुर (म.प्र.)
3. जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष,
   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
   समस्त जिला मध्यप्रदेश

विषयः– **वर्ष 2018 में नेशनल लोक अदालतों के आयोजन के संबंध में।**

संदर्भः– नालसा का ईमेल पत्र क्र. F.No.L/34/2017/NALSA दिनांक 08.01.2018.

उपरोक्त, संदर्भित पत्र के आलोक में लेख है, कि माननीय **न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई, न्यायाधिपति, सर्वोच्च न्यायालय** एवं कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार, **वर्ष 2018 में प्रत्येक दो माह में एक बार सम्पूर्ण देश के सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत** का आयोजन किया जावेगा तथा समस्त प्रकृति के प्रकरणों के निराकरण हेतु वर्ष की **पहली नेशनल लोक अदालत** का आयोजन **दिनांक 10 फरवरी 2018 (शनिवार)** को किया जाना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही वर्ष 2018 में आयोजित होने वाली समस्त नेशनल लोक अदालतों हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया गया हैः–

क्र.	माह	नियत तिथि
01.	फरवरी, 2018	10.02.2018
02.	अप्रैल, 2018	14.04.2018
03.	जुलाई, 2018	14.07.2018
04.	सितम्बर, 2018	08.09.2018
05.	दिसम्बर, 2018	08.12.2018

उक्त नेशनल लोक अदालतों में नालसा, नई दिल्ली के निर्देश / गाइडलाईन के अनुसार (चिन्हित प्रकरण) न्यायालयों में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को ही निराकरण हेतु रखा जाना है। अतः यथानिर्देशित अनुरोध है, कि कृपया वर्ष 2018 में नियत तिथियों में प्रस्तावित समस्त नेशनल लोक अदालतों एवं फरवरी माह की **दिनांक 10 फरवरी, 2018** को प्रदेश में आयोजित होने वाली प्रथम नेशनल लोक अदालत से संबंधित अन्य समस्त प्रकार की व्यवस्थाओं एवं तैयारी हेतु सर्वसंबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

निरंतर...02

09 Jan 2018
12:54